

न्यायालय म.प्र. अध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोतीमहल, गवालियर,

प्रकरण क. / 2014 पुर्नविलोकन ।२०१४। १५८६-१११६

....आवेदकगण

- 1 राममोहन गर्ग पुत्र श्री ब्रजमोहन गर्ग, ए.बी.  
रोड़ गुना म.प्र.
- 2 संजय पुत्र श्री गनपत लाल गुप्ता सिसौदिया  
कालोनी गुना

बनाम

....अनावेदक

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

~~XXIX(a)BR~~-II

राजस्व मण्डल संघाप्रदेश, गवालियर

मा. अनुमिति १५५४-दा. १४

जिला: गुरु

पार्दजाहो निक अंडेश

गवालियर

आभेलेख की आदि वा  
हस्ताक्षर

१५५४-६-१४

प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस  
स्थायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग० 1007 दा. / 14 में पारित आदेश  
दिनांक 10-4-14 के विरुद्ध म०प्र० मृ-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे  
आगे रखित कहा जायेगा ) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया  
है ।


2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर  
विचार किया तथा विवादित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया ।  
निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन  
स्वीकार किया जा सकता है ।

1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय  
जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं  
मिल गई थी

2- आभेलेख से प्रकट कोई भूल, गलती

3- कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण  
से उक्ताक्षित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया  
जाता। इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से  
यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित  
हैं ।

  
(र.म.कृ. सिंह)  
सदस्य  
निरस्त महान् मप्र गवालियर